आदर्श आचार संहिता

Model Code of Conduct

M.C.C.

प्रस्तुति

विजयंत सिंह ठाकुर

SLMT

9424408283

आदर्श आचार संहिता

निर्वाध्न निर्वाचन के संचालन के लिये सहायक स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु आयोग ने राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के मार्गदर्शन हेतु एक आदर्श आचार संहिता तैयार की है।

आदर्श आचार संहिता के विभिन्न पहलू

1 आदर्श आचार संहिता के उद्देश्य

2. लागू किये जाने वाले विस्तृत क्षेत्र

3. अधिकारी/कार्मिकों के लिए आदर्श आचार संहिता

4. मंत्रीगण/अध्यक्ष/आयोग सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

5. राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता

6. केन्द्रीय/राज्य सरकारों के लिए आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता के उद्देश्य

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में निर्चाचन कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।
- आदर्श आचार संहिता साफ–सुथरे/स्वच्छ ढंग से निर्वाचन संचालन के लिए स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण वातावरण को विकसित करती है।
- सभी पार्टियों के लिए समान कार्यक्षेत्र प्रदान करती है।

आदर्श आचार संहिता के उद्देश्य

- आदर्श आचार संहिता का दृष्टिगत एवं कठोर क्रियान्वयन निर्वाचन की विश्वसनीयता में वृद्धि करता है तथा मतदाताओं को आत्मविश्वास प्रदान करता है।
- राजकीय मशीनरी का चुनावी कार्यों में दुरूपयोग को रोकना सुनिश्चित करती है।
- निर्वाचन अपराधों एवं भ्रष्ट आचरण–प्रतिरूपण,रिश्वतखोरी, मतदाताओं के प्रलोभन, धमकाना / डराना आदि की रोक सुनिश्चित करती है।

MONITORING & CONTROL OF ECI

- State Election Machinery
- District Election machinery
- Returning Officers
- General Observers (IAS officers of other States)
- Police Observers (IPS officers of other States)
- Expenditure Observers (IRS officers)
- MCC Teams
- Excise Commissioner & District Excise officers
- Sector Officers
- Police Stations
- Extensive Videography during campaigning & Polling Stations
- Check Posts
- Complaint Handling
- Daily MCC Reports
- Webcasting

निर्वाचन संबंधी मुख्य कानूनी प्रावधान

1	भारतीय संविधान में वर्णित निर्वाचन संबंधी प्रावधान	अनुच्छेद–324 से 329
2	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में वर्णित – भृष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध संबंधी प्रावधान	धारा–123,125 से 136 तक (अध्याय 1 एवं 3)
3	भारतीय दंड संहिता 1860 में निर्वाचन अपराधों के विषय में प्रावधान/आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973	153 क, कक, ख, 171(क) से 171(झ) तथा 505 (2) एवं (3) अध्याय–9(क)
4	भारत निर्वाचन आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा	समय समय पर जारी निर्वाचन संबंधी प्रावधान/**निर्देश**/आदेश

भारतीय संविधान में वर्णित निर्वाचन संबंधी प्रावधान

अनुच्छेद–324	निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।
अनुच्छेद–325	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए अपात्र नहीं होना तथा उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किये जाने का दावा न किया जाना।
अनुच्छेद–326	अनुच्छेद–326–लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आयु–18 वर्ष। (61 वां संविधान संशोधन वर्ष 1989)

भारतीय संविधान में वर्णित निर्वाचन संबंधी प्रावधान

अनुच्छेद–327	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, सदन या सदनों का गठन संसद/विधान मंडलों के लिए निर्वाचन से संबंधित उपबंध करने की शक्ति संसद में निहित है–निर्वाचन नामावलीआदि।
अनुच्छेद–328	किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपलब्ध करने की उस विधान मंडल की शक्ति होगी–जहां तक संसद उपबंध नहीं करती है वहां तक राज्य विधानमंडल उपबंध करती है।
अनुच्छेद–329	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होगा– अनुच्छेद–327, 328 के अधीन विविध–निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों में आवंटन से संबंधित मामले।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा 123	•रिश्वत– अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा अन्य व्यक्ति को। •असम्यक असर– अभ्यर्थी/एजेन्सी किसी अन्य व्यक्ति के निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप या प्रयास। •किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या रोकने की अभ्यर्थी /एजेण्ट द्वारा अपील करना। •किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण बाबत। अभ्यर्थिता वापस लेने बाबत किसी मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन करना। •अभ्यर्थी /एजेण्ट द्वारा मतदान के लिए किसी निर्वाचन के लिए वाहन किराये पर लेना। •अभ्यर्थी /एजेण्ट द्वारा बूथ कैपचरिंग।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा–125	निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता/घृणा की भावना पैदा करना।	दण्ड–3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।
धारा–125(क)	नामनिर्देशन पत्र के साथ मिथ्या शपथ फाइल करना या सूचना छिपाना।	दण्ड–छः माह की सजा, या जुर्माना या दोनों।
धारा–126	मतदान तिथि से पूर्व 48 घंटों की अवधि में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।	दण्ड– दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा–126(क)	निर्वाचन मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्वाचन साधारण चुनावों में मतदान तिथि को नियत समय से 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति के आधा घंटा बाद तक रोक	दण्ड–दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
धारा–127	निर्वाचन सार्वजनिक सभाओं को रोकने के उद्देश्य से उपद्रव करना या दूसरों को भड़काना।	दण्ड– 6 माह का कारावास, 2000/–रूपये का जुर्माना या दोनों।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा–127(क)	पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशक का नाम व पता न हो। सूचना–राजधानी में सीईओ को तथा जिले में डी एम को देनी होती है।	दण्ड–6 मास का कारावास या 2000/–रूपये तक का जुर्माना या दोनों।
धारा–128	प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, एजेण्ट या अन्य व्यक्ति जो मतों का अभिलिखित करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालना करता है, मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा।	दण्ड–3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा 129	निर्वाचन कर्तव्य में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यता के लिए निर्वाचन संचालन या प्रबंध में कोई कार्य नहीं करेगा, न मत दिये जाने को प्रभावित करेगा।	दण्ड – 6 मास का कारावास या जुर्माना या दोनो
धारा 130	मतदान केन्द्रों में या उनके निकट 100 मीटर के भीतर मत संयाचना का प्रतिषेध है।	दण्ड – 250/रु. का जुर्माना।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा 131	मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति शोर शराबा, तेज ध्वनि प्रसारण, निर्वाचन ऑफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप करना।	दण्ड – 3 मास का कारावास या जुमाना या दोनों।
धारा 132	मतदान केन्द्र पर अवचार के लिए शास्ति –कोई व्यक्ति मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पी.ओ. के विधिपूर्ण निर्देशों की पालना नहीं करता है उसे वहां से हटाया जायेगा। पुनः प्रवेश करने पर उक्त धारा में कार्यवाही होगी	दण्ड – 3 मास का कारावास, या जुर्माना या दोनों।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा 133	निर्वाचन में मतदाताओं को लाने, ले जाने के लिए भाड़े या अन्य प्रकार से वाहन प्राप्त करना या उपलब्ध कराना।	दण्ड – 3 मास का कारावास और जुर्माना।
धारा 134	निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग – कोई व्यक्ति जो अपने पदीय कर्तव्य का युक्तियुक्त कारण के बिना भंग करने का दोषी होगा	दण्ड – वह 500/– रु. के जुर्माने से दंडनीय होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा 134 (क)	सरकारी सेवक या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन या मतदान या गणना एजेण्ट के रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध है।	दण्ड – 3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों।
धारा 134 (ख)	मतदान केन्द्र में या उसके निकट हथियार लेकर जाने काप्रतिषेध–आर.ओ./पी.ओ./पुलिस ऑफिसर आदि से भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस पास आर्म्स एक्ट 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के हथियार लेकर नहीं जायेगा।	दण्ड – 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा 135	मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा	दण्ड–1 वर्ष की सजा या 500/–रु. का जुर्माना या दोनों
धारा 135 (क)	पोलिंग बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध – किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र को कब्जे में करना, मतदान मशीन पर अपने समर्थक को ही वोट डलवाना, किसी निर्वाचक को मत देने से रोकना।	दण्ड–व्यक्ति द्वारा करने पर एक वर्ष से कम नहीं किन्तु 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। किसी सरकारी सेवक द्वारा करने पर–3 वर्ष से कम नहीं किन्तु 5 वर्षतक कारावास और जुर्माना।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा 135 (ख)	मतदान के दिन कर्मचारियों का संवैतनिक अवकाश की मंजूरी किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा या राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।	दण्ड –नियोजक पर 500/– रु. का जुर्माना।
धारा 135 (ग)	मतदान के दिन शराब का न तो विक्रय किया जायेगा, न दी जायेगी और न वितरित की जायेगी– मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, दुकान, अन्य लोक स्थान में शराब का विक्रय एवं वितरण नहीं किया जायेगा।	दण्ड –6 मास का कारावास या 2000/रु. का जुर्माना या दोनों।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951

धारा 136	निर्वाचन में कोई व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र कपटपूर्वक या मतपत्र के शासकीय चिन्ह् या लिफाफे या पहचान की घोषणा को कपटपूर्वक नष्ट करना लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित या नष्ट करना।	दण्डः–आर.ओ./ए.आर.ओ./पी.ओ. या निर्वाचन से संसक्त कर्तव्य पर नियोजित कार्मिक द्वारा अपराध करने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोंनो।अन्य व्यक्ति द्वारा करने पर 6 मास का कारावास या जुर्माना या दोंनो।

भारतीय दण्ड संहिता–1860

धारा 153 (क) 1	धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, घृणा एवं वैमनस्य की भावनाएं फैलाना तथा सौहाद्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, उपरोक्त आधारों पर आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करना।	दण्ड – 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
धारा 153(क) 2	पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध–उपधारा (i) के अपराध किसी पूजा स्थल या किसी जमाव में जो कर्म या पूजा में लगा है, में करने पर–	दण्ड – 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

भारतीय दण्ड संहिता–1860

धारा 153(क क)	किसी जुलुस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामुहिक ड्रिल या प्रशिक्षण का हथियार सहित संचालन या प्रशिक्षण का हथियार संहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना। धारा 144 (क) के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या आदेश का उल्लंघन उक्तानुसार करने पर	दण्ड – 6 मास की सजा और 2000/– रु. का जुर्माना।
धारा 153(ख)(1)	राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान – जो कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों या संकेत द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा किसी धार्मिक, मूलवंशीय, जाति समुदाय पर संविधान या भारत की अखण्डता की मर्यादा नहीं रखने का लांछन लगायेगा, प्राख्यान देगा, अपील करेगा या प्रकाशित करेगा, वह दण्डनीय है।	दण्ड –3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों

भारतीय दण्ड संहिता–1860

धारा 171 (ख)	रिश्वत –किसी व्यक्ति को मत देने/न देने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए इनाम/परितोष देना रिश्वत है।	दण्ड– 1 वर्ष का कारावास, या जुर्माना या दोनों।
धारा 171 (ग)	निर्वाचन में असम्यक असर डालना – कोई किसी के निर्वाचन अधिकार में स्वच्छेया हस्तक्षेप करता है, किसी अभ्यर्थी या मतदाता को धमकी देता है, वह असम्यक असर डालने का अपराध करता है।	दण्ड– 1 वर्ष का कारावास, या जुर्माना या दोनों।

भारतीय दण्ड संहिता–1860

धारा 171 (घ)	निर्वाचनों में प्रतिरूपण–जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जीवित/मृत के नाम से मत देता है ऐसे मतदान के लिए दुष्प्रेरित करता है वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।	दण्ड– 1 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना या दोनों।
धारा 171 (ड़)	रिश्वत के लिए दण्ड–	
धारा 171 (च)	निर्वाचन में असम्यक असर डालने तथा प्रतिरूपण के लिए	

भारतीय दण्ड संहिता–1860

धारा 171 (छ)	निर्वाचन से संसक्त मिथ्याकथन – किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में कोई मिथ्या कथन करेगा या प्रकाशित करेगा	वह जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
धारा 171 (ज)	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय – कोई किसी अभ्यर्थी के लिखित प्राधिकार के बिना कोई सार्व. सभा करने, किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर व्यय करेगा,	व्ह 500/– रु. के जुर्माने से दंडित किया जायेगा।
धारा 171 (झ)	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता – जो कोई किसी तत्समय प्रवृत विधि द्वारा या विधि का बल रखने नियम द्वारा अपेक्षित होते हुए निर्वाचन के संबंध में किये गये व्ययों का लेखा जोखा रखने में असफल रहेगा	वह 500/– रू. के जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

भारतीय दण्ड संहिता–1860

धारा 505 **लोक रिष्टि कारक वक्तव्य** **(conducing to public mischief)**	(1)(ख) कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट या अफवाह का इस आशय से प्रकाशित करेगा कि ऐसा करने से जनता का कोई भाग भयभीत हो, जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरूद्ध या लोक शांति के विरूद्ध अपराध करने हेतु उत्प्रेरित हो या (1)(ग) उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरूद्ध अपराध करने के लिए उद्धीप्त हो जाये तो उसे दंडित किया जायेगा।	दण्ड – 3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना या दोनों।

भारतीय दण्ड संहिता–1860

धारा 505 (2)	विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा, या वैमनस्य पैदा करने या भड़काने वाले कथन करना– कोई भी ऐसी अफवाह या संत्रासकारी, समाचार वाली रिपोर्ट को इस आशय से रचेगा या प्रकाशित करेगा जिससे विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी, जातियों एवं समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा पैदा होने या बढने की संभावना बने, यह कृत्य दण्डनीय होगा।	दण्ड – 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
धारा 505 (3)	उक्त वर्णित कृत्य किसी पूजा स्थल या धार्मिक पूजा/कर्म में लगे हुए लोगों के जमाव स्थल पर करेगा तो वह दंडनीय होगा।	दण्ड – 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप उपसंजात आनुषंगिक अधिनियम/नियम

आनुषंगिक अधिनियम/नियम

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985	धारा 18 के अंतगर्त निर्वाचन की घोषणा होने के पश्चात आदेश दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक विधानसभा क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाता है तथा इस दौरान विहित प्रधिकारी की लिखित अनुज्ञा से, प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक कर सकेंगे। लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है।	6 माह का कारावास या 1000/– रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जावेगा।
मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994	धारा 3 के तहत कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञपति के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करना प्रतिबंध रहता है।।	1000 रूपये तक का जुर्माना से दंडित किया जावेगा।
आबकारी अधिनियम 1915	इस अधिनियम के अतंर्गत निर्वाचन के दौरान अवैध मदिरा के निर्माण धारण, विक्रय, परिवहन पर रोक लगाने की कार्यवाही की जाती है	उल्लघंन पाये जाने पर दांडिक कार्यवाही की जाती है।

आनुषंगिक अधिनियम / नियम

आयुध एवं शस्त्र अधिनियम 1959	जिला दण्डाधिकारी धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये विधानसभा की सीमा क्षेत्र के अतंर्गत निवासरत लाइसेंस धारियों को प्रदाय शस्त्र लाइसेंस निलंबित किये जाकर आग्नेय शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा कराये जाने के आदेश जारी किये जाते है। सभी अस्त्र–शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र निलंबित कर प्रतिबंध लगाया जाता है।
सराय अधिनियम 1867	धारा 8 के अंतर्गत निर्वाचन की सूचना जारी होने के पश्चात विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त होटल,सराय / लॉज / धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्रतिदिन थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध कराई जानी हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाते है

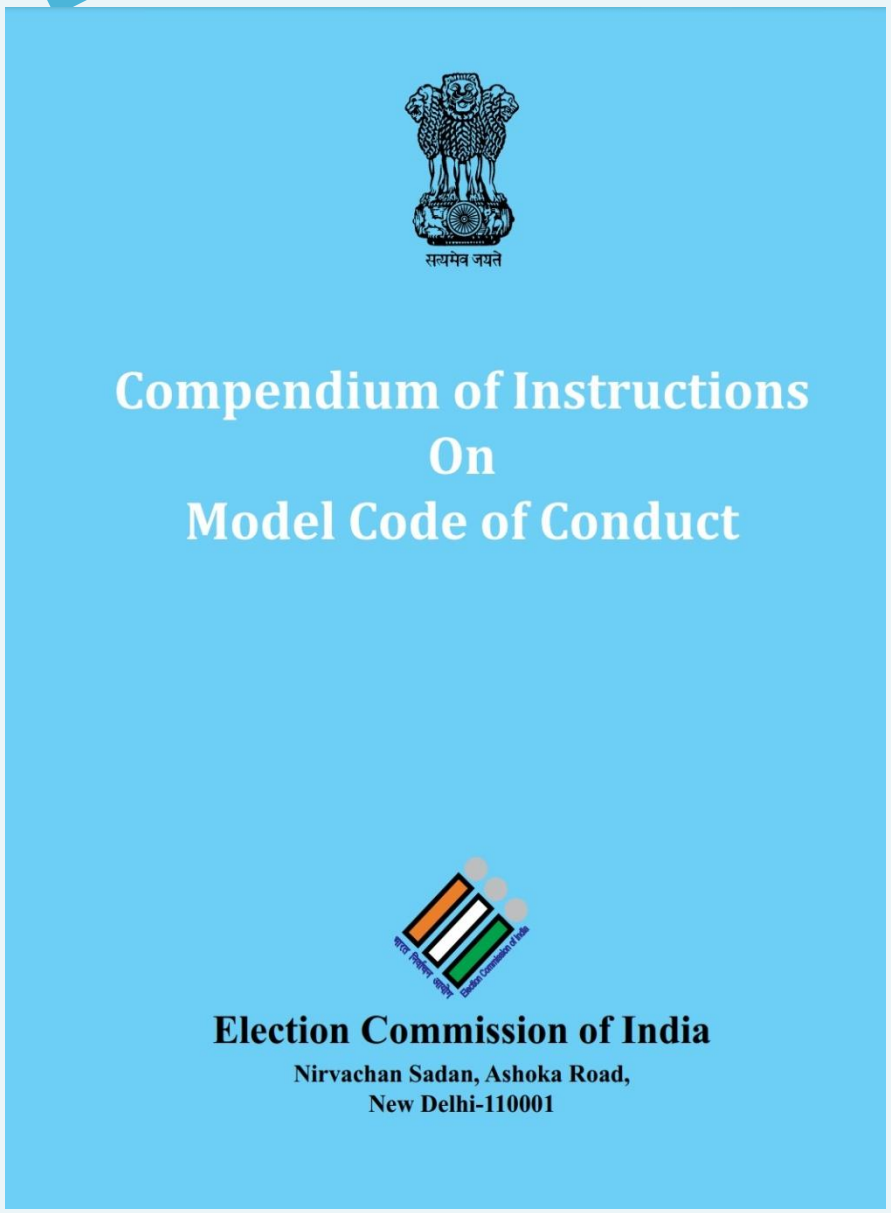

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

E C I के महत्वपूर्ण निर्देश

1	**शासकीय संपत्ति** – राजनितिक संबद्धता वाले दीवार पर लेखन / शिलान्यास के पत्थर, पोस्टर, पेपर, कटआउट, होर्डिंग झंडे, बैनर –	INS NO 22 PAGE-NO 41 - 44 , COMPENDIUM ON MCC **24 घंटे के भीतर**
2	**आम उपयोग के स्थान (PSU)** – रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पुल, सड़कें, वाहन / टैंकर / एम्बुलेंस, बिजली टेलीफोन के खम्बे, नगरपालिका / स्थानीय निकाय के भवनों में उपरोक्त लेखन आदि हटाना	INS NO 22 PAGE-NO 41 - 44 **48 घंटे के भीतर**
3	**निजी संपत्ति का विरूपण** – सभी अनधिकृत राजनितिक सम्बद्धता के लेखन विज्ञापन हटाना	**72 घंटे के भीतर**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

4	शासकीय वेबसाइट/भवन आदि से राजनितिक दलों मंत्रियों आदि के फोटो हटाना	(ECI 437/6/INST/ dt- 01.04.2009) PAGE-NO-26 + (ECI 437 dt- 20.03.2014) P-38+ P-42
5	निर्माण एवं विकास गतिविधियों की सूची प्राप्त करना – चालू एवं चालू होने वाली, 72 घंटे के भीतर	INS NO 22, PAGE-NO 41 - 44 72 घंटे के भीतर
6	संपत्ति विरूपण के मामलों में, शासन द्वारा लगाये गए परिवार नियोजन, सामाजिक कल्याण आदि के होर्डिंग्स हटाने की अनिवार्यता तब ही होगी जब, इन पर राजनितिक हित या सम्बद्धता दिखती हो, उसे हटाया जा सकता है, अथवा अवांछित हिस्से को विधिवत ढांक भी दिया जा सकता है।	ECI LETTER NO 437/6/ MCC 2017 DT 06/01/2017 PAGE-108

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

7	पेट्रोल पंप और गैस एजेंसीज में गैस उपभोक्ता को कनेक्शन आदि प्रदाय करने की तस्वीरें और पोस्टर्स को हटाना	ECI/437/6/INST12/01/2017 **INST NO-137 PAGE -247**
8	• शिकायत निगरानी दल **24X7** नियंत्रण कक्ष की स्थापना संचालन • **EEM** की गतिविधि तत्काल शुरू करना • **IT** तकनीक का उपयोग कर सुचना प्रेषण क्रियाशील करना • मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी सिनेमा पर प्रयास • **MCMC/ DEMC** द्वारा प्रावधानों के बारे में सूचना देना/ मीडिया सेंटर का उपयोग	**COMPENDIUM ON MCC INS NO-22 PAGE-NO** 41 - 44 ,

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

9	राज्य में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो जाने और आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद, किसी भी अधिकारी से अकेले या समूह में, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से कोई भी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं की जायेगी। **विशेष परिस्थितियों में CEO के अनुमोदन एवं आवश्यक निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार की जा सकती है।**	ECI 437/6/ 2004-PLN Dt.30.12.2004 **INST NO 93** **PAGE NO 170**
10	ऐसे अधिकारी जिनकी पत्नि/पत्नि राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है, उनके टूर/अवकाश पर जाने पर नियंत्रण है, जब तक कि निर्वाचन कार्य पूरा नहीं हो जाए, उन्हें अपना मुख्यालय सामान्यत नहीं छोड़ना चाहिए।	**EIC 437/6/98-PLN-III Dt 23.01.1998** **INST NO-123** **PAGE NO-227**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

11	आईटी प्लेटफार्म SUVIDHA का उपयोग सिंगल विंडो सिस्टम जुलुस रैली आदि की अनुमति के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।	ECI 464/INST/2014-EPS DT 20 MARCH,2014, **INST NO-87, PAGE NO-163**
12	आयोग, समस्त दलों से, चुनाव प्रचार में, अशालीन भाषा एवं महिलाओं की गरिमा हनन के प्रयोग से दूर रहने के लिए अपने नेताओं/कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों को निर्देशित करने की अपेक्षा रखता है।	ECI 437/INST/2015-CCS,DT -17.09.2015 **INST NO-84 ,PAGE NO – 156**
13	विडियो वैन द्वारा प्रचार अनुमति सीईओ कार्यालय से, प्रचार समग्री MCMC द्वारा प्रमाणित, प्रचार वैन के प्रचार मार्ग की स्वीकृति स्थानीय प्रशासन से होनी चाहिए, उल्लंघन करने पर अनुमति निरस्त की जाएगी।	ECI 437/6/ Dt 04/01/2017 **INST NO- 87, PAGE NO-159** 437/6/INST/Dt24/05/2017 **INST NO-92,PAGE NO-169**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

14	**प्रचार सामग्री** • स्थानीय नियमों के अधीन, राजनितिक दल/उम्मीदवार/एजेंट/कार्यकर्ता/समर्थक अपनी संपत्ति पर स्वेच्छा से बैनर झंडे लगा सकते हैं, • यदि इन प्रचार सामग्री में, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मत देने की याचना की गयी हो तो **IPC SECTION 171 H** के अंतर्गत अभ्यर्थी की लिखित अनुमति या अधिकार पत्र आवश्यक होगा • ऐसे ध्वजों की संख्या अधिकतम तीन हो सकती है • आयोग सभी दलों से पर्यावरण अनुकूल प्रचार सामग्री के उपयोग की अपेक्षा रखता है।	ECI 437/6/ Dt 04/01/2017 **INST NO- 87, PAGE NO-159** 437/6/INST/Dt 24/05/2017 **INST NO-92,PAGE NO-169**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

15

निर्वाचन अवधि में वाहन का विनियमन

- निर्वाचन अभियान के लिए वाहन केवल रिटर्निंग अधिकारी के अनुमति से ही चल सकते हैं, वाहन संख्या और अभ्यर्थी के नाम को दर्शाते हुए, मूल अनुज्ञा पत्र को वाहन के स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए,
- बिना अनुज्ञा के निर्वाचन अभियान में प्रयुक्त पाए जाने वाले वाहन पर मोटर वाहन अधिनियम और IPC ACT 171 G के अनुसार कार्यवाही होगी,
- नामनिर्देशन दाखिल करने के दौरान, रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहनों के प्रवेश को अनुज्ञात किया जायेगा।

ECI437/6/16Dt 04/01/2017

INST NO-87
PAGE NO-159

INST NO-92
PAGE NO-169

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

16

रोड शो

- रोड शो की सक्षम अधिकारी से अनुमति होनी चाहिए।
- वाहन पर 1X 1/2 फीट का एक झण्डा लगा सकते है
- रोड शो में पशु एवं बच्चो का उपयोग नही होगा।
- बड़े जत्थों को अधिकतम 10 वाहनों के समूह में न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखते हुए विभाजित किया जायेगा,
- दो पहिया साइकिल/ साइकिल रिक्शा भी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के अधीन वाहन है,

ECI437/6/16Dt 04/01/2017

INST NO-87
PAGE NO-159

INST NO-92
PAGE NO-169

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

17	निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव घोषणा से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक कोई केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्री किसी निर्वाचन क्षेत्र राजकीय यात्रा नहीं करेंगे। चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी को कार्यालय या गेस्ट हाऊस में किसी कार्यालयी कार्य के विचार विमर्श हेतु नहीं बुलायेंगे। **अपवाद** कानून व्यवस्था भंग होने या प्राकृतिक आपदा घटित होने पर वहां विभाग के मंत्री की हैसियत से या मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय यात्रा कर सकते हैं तथा वहां पर निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी को बुला सकते हैं।	ECI 437/6/96/PLN III dt-17/01/1996 **INST NO -99, PAGE NO--177** ECI 437/6/2007 PLN III dt-23/11/2007 **INST NO-101,PAGE NO-48**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

18

आम चुनाव/उपचुनाव के दौरान भारत में मंत्रियों की राजनीतिक या व्यक्तिगत यात्रा को राजकीय यात्रा के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जोड़ी जा सकती है।

मंत्री जो राजकीय कार्य से यात्रा करते हैं उन्हें उस जिले/निर्वाचन क्षेत्र में रूकना नहीं चाहिए, जहां आचार संहिता लागू है, न ही राजनीतिक कार्य में उपस्थित होना चाहिए।

ECI 437/6/1/2014
Dt. 05/03/2014
INST NO-17 PAGE NO- 34

ECI 437/6/1/2017
Dt. 25/10/2017
INST NO-23 PAGE NO- 65

437/6/2004/PLN III
dt. 23-11-2007)

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

19	चुनाव यात्रा के दौरान मंत्री द्वारा कोई भी पायलट कार/बत्ती लगी कार/अन्य सायरन लगी कार जिसकी आसानी से पहचान हो सके, उपयोग में नहीं ली जा सकेगी।	ECI 437/6/2012 dt 24/01/2012 **INST NO-34, PAGE NO-79**
20	राज्य सरकार के खर्चे पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के अवसर पर (जैसे–इफ्तार पार्टी का आयोजन) मंत्री को अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना प्रतिबंधित है।	ECI 437/6/BR/98-PLN III/dt. 27-01-1998 **INST NO -30, PAGE NO-75**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

21	किसी भी राजनीतिक दल के सभी विज्ञापन जो टी.वी चैनल्स एवं केबल नेटवर्क पर प्रसारित किये जाते हैं, की समीक्षा ,संवीक्षा एवं प्रमाणीकरण एमसीएमसी द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा।	ECI 509/75/2004/JS-1 dt. 15-04-2004 **INST NO-36,** **PAGE NO-81**
22	सभी राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान के दौरान पोस्टर, बैनर तैयारी के लिए प्लास्टिक/पोलिथीन के उपयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए।	

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

23

•राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा राजकीय विश्राम गृह के परिसर के अंदर आकस्मिक मीटिंग भी करने की अनुमति नहीं है।जो व्यक्ति गेस्ट हाऊस में ठहरा है केवल उसका वाहन तथा अधिकतम दो वाहन ही गेस्ट हाऊस परिसर के अंदर अनुमत होंगे।

•विश्राम गृह 48 घंटों से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।मतदान की 48 घंटे पहले की अवधि में कमरे आवंटित नहीं किये जायेंगे।

•राजकीय गेस्ट हाऊस में सुविधा उन वी.आई.पी. को दी जा सकती है, जिनको राज्य सरकार द्वारा ''जैड प्लस'' सुरक्षा दी गई है बशर्ते कि ऐसा कमरा/आवास चुनाव से संबंधित अधिकारी/ऑब्जर्वर को आवंटित नहीं किया गया हो।

ECI
437/6/38/2004/P LN III/dt.06-04-2004

INST NO-96, PAGE NO-173

ECI
437/6/2006/P LN III/dt.01-04-2006

INST NO-97, PAGE NO-174

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

24	मंत्रीगण तथा अन्य ऑथोरिटी चुनाव के पूर्व दिन अपने स्वविवेक फण्ड के अनुसार भुगतान स्वीकृत नहीं कर सकते हैं।	ECI 437/6/2017Dt 25/10/2017 **INST NO-23,24** **PAGE NO-65,68**
25	एम.सी.सी. के दौरान संस्थाओं को ऋण माफ करने तथा ऋण देने में वित्तीय सीमा बढ़ाने संबंधी कार्यवाहीं नहीं करनी चाहिए।	ECI 437/6/2017Dt 25/10/2017 **INST NO-23,24** **PAGE NO-65,68**
26	अवैद्य अध्यासन एवं अवैद्य निर्माण नहीं गिराये या हटाये जा सकते है। अपरिहार्य स्थिति में सक्षम न्यायालय के अनुपालन में सभी तथ्यों के साथ आयोग को प्रस्ताव भेजकर अनुमति प्राप्त करने के बाद कार्यवाही की जावेगी।	ECI 437 / 6 / 3 / 2004 DT19.02.2004 **INST NO-125** **PAGE NO-230**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

27	सरकारी खर्चे पर चुनाव अवधि के दौरान समाचार पत्रों तथा मीड़िया को कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है।	ECI 437/6/2017Dt 25/10/2017 **INST NO-23, PAGE NO-65**
28	सरकारी एजेन्सी द्वारा की जाने वाली बड़ी नीलामी, ठेका देना आदि पर प्रतिबंध रहेगा।	ECI 437/6/2009 Dt 24/03/2009 **INST NO-129, PAGE NO-235**
29	कोई कार्य (मय सहायता कार्य) प्रारम्भ करते समय राजनीतिक पदाधिकारीगण को शामिल करते हुए औपचारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा।	ECI 437/6/2009 Dt 05/03/2009 **INST NO-6, PAGE NO-20**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

30	आम चुनाव के समय चुनाव अभियान, प्रचार–प्रसार एवं निर्वाचन संबंधी यात्राओं में राजकीय वाहनों के उपयोग का प्रतिबंध लोकसभा / विधानसभा स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के मामलों में समान रूप से लागू होगा।	ECI 437/6/2004Dt 25/03/2004,JSII DT30/03/2001 **INST NO-04,56 PAGE NO-11,116**
31	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तहत ''जैड प्लस'' सुरक्षा कवर के व्यक्तियों को राज्य स्वामित्व के एक बुलेट प्रुफ वाहन के उपयोग की अनुमति है।	ECI 437/6/2009Dt 25/10/2009 **INST NO-66, PAGE NO-133**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

32	राजनैतिक सभाओं हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के मैदान से उपलब्ध कराये जा सकते है, परन्तु शैक्षणिक कार्य कार्य बाधित न हो एवं संस्था प्रधान की पूर्व स्वीकृति एवं अनापत्ति तथा अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।सभी पार्टियों/निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्व. स्थान/मैदान/निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।	ECI 437/6/2009Dt 18/03/2009 **INST NO-77, PAGE NO-147**
33	चुनाव कार्यालय किसी विद्यालय/अस्पताल/धार्मिक स्थान की 200 मीटर की परिधि में न हो। स्थानीय निकाय की अनुमति आवश्क है 4x6 फिट का बैनर एवं एक झण्डा लगा सकते है।	ECI437/6/16Dt 04/01/2017 **INST NO-87 PAGE NO-159**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

34

चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर का प्रयोग

- प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी को सरकारी एयरक्राफ्ट /हेलीकॉप्टर के प्रयोग पर प्रतिबंध है।
- प्राईवेट हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा सकता है।तीन दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
- महानिदेशक नागरिक विमानन/उड्यन अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र या प्रमाणपत्र की प्रति।
- जिला प्रशासन द्वारा लॉगबुक का संधारण एवं CEO /ECI को रिपोर्ट करना है।
- व्यय लेखा के प्रावधानों के अनुरूप खर्च जोड़ा जावेगा।
- हेलीपेड उपयोग का अवसर भी सभी दलों/उम्मीदवारों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।

ECI/4376/1/2008 -CC8BE DT 24.10.2008DT 09.04.2009

INST NO- 62, PAGE NO-127

ECI/464/INTS/2011/EPS/ DT 23.03. 2011

INST NO- 68, PAGE NO-135

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

35	अभ्यर्थी को अपने प्रचार सामग्री जैसे– झण्डा, बैनर, पोस्टर, नारा लेखन आदि के लिए शासकीय सम्पत्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, पर्ची, बेनर और झंण्डे आदि को स्थानीय विधि और तत्समय प्रवत्त निषेधाज्ञा के उपबंधों के अधीन किया जा सकता है।	ECI/3/7/2008/JS II DT 07.10.2008
36	बिल्ला /बैज, कागज की टोपी, मोबाइल स्टीकर तथा सामान्य स्टीकर जो प्रचार सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते है **RPA 1951 की धारा 127 क** के प्रावधान लागू नहीं होते।	ECI464 / INST/2012/ EPS DT 20.01.2012

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

37

- निर्वाचन कार्य के दौरान कोई टेण्डर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। नये अनुबंध या एम.ओ.यू. जहॉ शासन भी एक पक्ष है, नहीं किये जायेंगे।
- ऐसे ग्लोबल टेण्डर जिनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, यदि जारी कर दिये है तो उनका मूल्यांकन व अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस हेतु आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए
- चालू कार्यक्रम जो चुनाव घोषणा से पूर्व फील्ड में वास्तव में शुरू हो चुके है, चालू रह सकते हैं।
- किसी योजना के संबंध में कार्यादेश जारी होने के पश्चात भी, यदि निर्वाचन की घोषणा के दिन, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, तो उसे प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

ECI437/6/2009-CC&BE DT 05.03.2009

INST NO- 6, PAGE NO-20

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

38

- स्व–सहायता समूहों को यदि पूर्व में प्रथम किश्त दी जा चुकी है तो शेष राशि का भुगतान किया जा सकता हैं।
- गैर सांविधिक निकाय में भर्ती से पूर्व आयोग से अनापत्ति लेना होगा।
- बाढ़, सूखा, महामारी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहायता एवं पुनर्वास से संबंधित कार्य प्रारम्भ किये जा सकते हैं/चालू रह सकते हैं।
- गम्भीर बीमार व्यक्तियों/मरणासन्न व्यक्तियों को कैश या चिकित्सीय सुविधा का अनुदान उचित अनुमोदन केसाथ निरन्तर जारी रह सकता है।
- प्राकृतिक आपदा के कारण किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित /बाढ़ प्रभावित या क्षतिग्रस्त तटबंध /नहर आदि के सुधार लिए आयोग की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

ECI437/6/2009-CC&BE DT 05.03.2009

INST NO- 6, PAGE NO-20

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

39	केन्द्र सरकार की विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम /योजनाएँ यथा– इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगर योजना, राष्ट्रीय कार्य खाद्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि के संबंध में अनुसरण किये जाने वाले दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।	ECI437/6/16/2003Dt 01/04/2004 &09/03/2009 **INST NO-3,7 PAGE NO-10,23**
40	शासकीय वाहनों की श्रेणी में ऐसे वाहन आते है जिनमे केन्द्र/राज्य सरकार/ इनके संयुक्त उपक्रम/ स्थानीय निकाय/मार्केंटिंग बोर्ड/सहकारी समिति/स्वायत्तशासी जिला परिषद/ अन्य संस्थान जिसमें शासन की हिस्सेदारी हो	ECI464/INST/14Dt 10/04/2014 **INST NO-22 PAGE NO-56**

ECI के महत्वपूर्ण निर्देश

41	यदि कोई उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या उनके एजेन्ट नहीं हो तो चुनाव प्रचार अभियान अवधि के समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए ।	ECI 464/INST/2007Dt 08/01/2007 **INST NO-74 PAGE NO-144**
42	बिजली पानी आदि के बिल पर तथा टैंकर, एम्बूलेंस इत्यादि पर किसी राजनैतिक व्यक्तियो का फोटो एवं संदेश नही होना चाहिए	ECI 437/INST/13 Dt 13/11/2013 **INST NO-16 PAGE NO-33&** ECI 437/INST/14 Dt 11/09/2014 **INST NO-83 PAGE NO-155**
43	आर्म फोर्स के फोटो ग्राफ्स का उपयोग प्रचार सामग्री पर प्रतिबंधित है।	ECI 437/INST/2013Dt 04/12/2013 **INST NO-80 PAGE NO-150**

आदर्श आचार संहिता महत्वपूर्ण बिन्दु

- आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राजनिति में सक्रिय एवं वर्तमान में उम्मीदवार प्रभावी व्यक्तियों के साथ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों के चित्र हटाये जायेंगे। पूर्व राष्ट्रीय नेता, कवि, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपालों के चित्रों को नहीं हटाया जायेगा।
- उम्मीदवार अपनी या देवी–देवताओं आदि की मूर्तियों के चित्र युक्त डायरी, केलेण्डर/स्टीकर्स का वितरण नहीं कर सकते श
- निजी परिसरों /संपत्तियों पर पोस्टर, बेनर, दीवार लेखन के लिए परिसर के स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी, या उक्त कार्य के प्रायोजनार्थ पदाभिहित अधिकारी को 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

आदर्श आचार संहिता महत्वपूर्ण बिन्दु

- मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रिंट मीडिया पर प्रकाशित विज्ञापनों का प्रमाणिकरण आवश्यक हे।
- मतदान समाप्ति से पूर्व अंतिम 48 घंटों में बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध रहेगा। आपत्तिजनक संदेशयुक्त एस.एम.एस. का सोशल मीडिया पर प्रेषण निषिद्ध है।
- किसी भी व्यक्ति मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में और मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने की अनुमति नहीं है।

आदर्श आचार संहिता महत्वपूर्ण बिन्दु

- मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व से जनसभाएँ करना, लाउडस्पीकर का उपयोग, रैली आयोजन, पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- प्रचार वाहनों पर डी.जे. का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- मुख्य पोशाक साड़ी, शर्ट, राजनैतिक दल /अभ्यर्थी द्वारा आपूर्ति एवं वितरण किया जाना प्रतिबंधित है।
- प्रचार सामग्री परिवहन व स्थापित करने हेतु बाल श्रमिकों(14 वर्ष से कम) का उपयोग नहीं किया जायेगा

आदर्श आचार संहिता महत्वपूर्ण बिन्दु

- यूपीएससी, एस.एस.सी. राज्य पी.एस.सी.या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती या नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है असांविधिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिये आयोग की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।
- निर्वाचन की घोषणा के बाद अधिकारी/कर्मचारियों को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।
- निर्वाचन की घोषणा की तारीख से पहले स्थानांतरण आदेशों को आयोग की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जायेगा।

आदर्श आचार संहिता महत्वपूर्ण बिन्दु

- सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते।
- वे निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते।
- उनको निर्वाचन प्रचार अभियान के दौरान जनसभा में उपस्थित नहीं होना चाहिए–अपवाद, कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी

आदर्श आचार संहिता महत्वपूर्ण बिन्दु

शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

मतदान दिवस को तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के दौरान शराब की बिक्री नहीं जायेगी इसे किसी को नहीं दिया जायेगा, इसका वितरण नहीं किया जायेगा। मद्यपान निषेध दिवस घोषित किया जावेगा।

कार्य जो करना हैं

Do's

- दूसरे राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियों कार्यक्रम, पूर्व रिकॉर्ड एवं कार्य से संबंधित होनी चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित गृह जीवन की पूर्णतया रक्षा की जानी चाहिए।
- जुलुस के प्रारम्भ होने का समय व स्थान तथा रूट की पुलिस/सक्षम ऑथोरिटी से अग्रिम रूप से तय कर अनुमति ली जानी चाहिए।

कार्य जो करना हैं

Do's

- प्रस्तावित सभा के स्थान में प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेशों, यदि कोई हैं, का पूरा सम्मान किया जाएगा। छूट, यदि आवश्यक है, तो लागू किया जाना चाहिए तथा समय रहते प्राप्त की जानी चाहिये।
- प्रस्तावित सभाओं के लिये लाउडस्पीकरों या ऐसी किसी अन्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिये अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये।
- सभाओं में गड़बड़ी पैदा करने वाले व्यक्तियों या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।

कार्य जो करना हैं

Do's

- किसी जुलूस को आरंभ करने/समाप्त करने के समय और स्थान एवं मार्ग को अग्रिम रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए तथा पुलिस प्राधिकारियों से अग्रिम अनुमतियां प्राप्त की जानी चाहिए।
- उनस्थानों, जिनसे होकर जुलूस को गुजरना होगा, में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों, यदि कोई हैं, का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सभी यातायात विनियमों और अन्य प्रतिबंधों का भी पालन किया जाना चाहिए।
- जूलूस, यातायात को बाधित किये बिना निकाली जानी चाहिए।

कार्य जो करना हैं

Do's

- शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिये सभी निर्वाचन अधिकारियों को हमेशा सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र प्रदर्शित करना चाहिए।
- मतदाताओं को जारी गैर सरकारी पहचान पर्चियां, अभ्यर्थी के किसी प्रतीक, नाम या दल के नाम के बिना सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए।

कार्य जो करना हैं

Do's

- प्रचार अभियान की अवधि के दौरान मतदान दिवस को वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

- मतदाताओं, अभ्यर्थीयों और उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के सिवाय भारत निर्वाचन आयोग से विशिष्ट विधिमान्य प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान बूथ में प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी उच्च पदस्थ कार्यकर्ता (अर्थात मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक आदि) को इस शर्त से छूट प्राप्त नहीं है।

- अभ्यर्थी मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर बूथ बना सकते है जिसमें 10x10 फीट का टेंट, एक टेबिल, दो कुर्सी एक 4x1.5 फीट का बैनर लगा सकते है।

कार्य जो करना हैं

Do's

- निर्वाचनों के संचालन के बारे में किसी शिकायत या समस्या को प्रेक्षक/आर ओ/सेक्टर मजिस्ट्रेट/भारत निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाया जाएगा।
- भारत निर्वाचन आयोग/आर ओ/डी ई ओ/के निर्देशों/आदेशों/अनुदेशों का, निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मामलों में पालन किया जाएगा।
- राजनैतिक कार्यकर्ता को प्रचार अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चला जाना चाहिये, यदि वह मतदाता या अभ्यर्थी या अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता उस निर्वाचन क्षेत्र से नहीं हो।

कार्य जो करना हैं

Do's

- लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन कोई भी उम्मीदवार सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र हेतु स्वम के लिए एक वाहन अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता के लिए एक वाहन एवं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु अपने कार्यकर्त्ताओं हेतु एक–एक वाहन का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक वाहन में चालक संहित पॉच से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं है।
- कोई भी मंत्री यदि उम्मीदवार या मतदाता नहीं हो तो मतदान केन्द या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगें

कार्य जो नहीं करना हैं

Don'ts

- सत्तासीन दल/सरकार की उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक कोष की लागत से कोई और सभी विज्ञापन निषिद्ध है।
- कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र या मतगणना स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि वह अभ्यर्थी नहीं हो या मतदाता के रूप में केवल मतदान के लिये न आया/आई हो।
- सरकारी कार्य को प्रचार अभियान/निर्वाचन प्रचार अभियान के साथ कदापि नहीं मिलाया जाना चाहिए।

कार्य जो नहीं करना हैं

Don’ts

- मतदाताओं को कोई प्रलोभन, वित्तीय या अन्यथा, नहीं दिया जाएगा।
- निर्वाचकों की जातिगत/साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुचाई जाएगी।
- किसी ऐसी गतिविधि का प्रयास नहीं किया जाएगा जो विभिन्न जातियों, संप्रदाओं या धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच विद्यमान अंतरों को बढाए या पारस्परिक घृणा पैदा करे या तनाव पैदा करें।

कार्य जो नहीं करना हैं

Don'ts

- निजी जीवन के किसी पहलू, जो दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है, की आलोचना की अनुमति नहीं होगी।
- असत्यापित आरोपों या तोड़–मरोड़कर पेश किये गये तथ्यों के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जाएगी।
- पूजा के किसी स्थान का उपयोग, निर्वाचन प्रचार के लिये भाषणों, पोस्टरों, संगीत, आदि सहित निर्वाचन दुष्प्रचार के लिये नहीं किया जाएगा।

कार्य जो नहीं करना हैं

Don’ts

- ऐसी गतिविधियां, जो भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध हो यथा रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, मतदाताओं को डराना, प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार–प्रसार, प्रचार अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद जन सभाओं का आयोजन तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुचाना एवं लाना।
- व्यक्तियों की राय या गतिविधियों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन या पिकेटिंग नहीं किये जाएंगे।

कार्य जो नहीं करना हैं

Don'ts	• स्थानीय विधियों के अध्यधीन कोई व्यक्ति झंडा लगाने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने या नारे लिखने आदि के लिये किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते की दीवार, वाहनों आदि का उपयोग उनके मालिक की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। विशिष्ट, अनुमति, डी ई ओ को दिखाई जाएगी और उनके पास जमा की जाएगी। • किसी दूसरे राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित जन सभाओं या जुलूसों में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं की जाएगी।

कार्य जो नहीं करना हैं

Don'ts

- किसी ऐसे स्थान, पर जहां दूसरा दल सभाएं कर रहा है, जूलूस नहीं निकाला जाएगा।
- जुलूस में शामिल व्यक्ति ऐसी कोई चीजें नहीं ले जाएंगे, जिन्हें मिसाइलों या हथियारों के रूप में दुरूपयोग किए जाने की संभावना हो।
- दूसरे दलों/अभ्यर्थियों के पोस्टरों को हटाया नहीं जाएगा या विरूपित नहीं किया जाएगा।
- पोस्टरों, झंडों, प्रतीकों या किसी अन्य दुष्प्रचार सामग्री को मतदान दिवस को अभ्यर्थियों के निर्वाचन बूथों या मतदान बूथों के निकट प्रदर्शित नहीं किया जाएगा

कार्य जो नहीं करना हैं

Don'ts

- लाउडस्पीकरों का उपयोग सुबह 6 बजे से पहले या रात्रि 10 बजे के बाद संबंधित प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
- संबंधित प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना जनसभाओं तथा जुलूसों में लाउडस्पीकरों को उपयोग नहीं किया जाएगा। सामान्यतया, ऐसी सभाओं/जुलूसों को रात्रि में 10 बजे के बाद जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह स्थानीय विधियों तथा अन्य सुसंगत बातों यथा, त्योहार के मौसम, परीक्षा की अवधि आदि के अध्यधीन होगा।

कार्य जो नहीं करना हैं

Don'ts

- लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता निर्धारित डेसीबल से अधिक नही होनी चाहिए।

- निर्वाचनों के दौरान कोई शराब वितरित नहीं की जाएगी।

- मतदान दिवस को सुरक्षा कवर वाला कोई व्यक्ति अपने सुरक्षा कार्मिकों के साथ मतदान केन्द्र के परिसर (100 मीटर के भीतर) के आसपास नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त, मतदान दिवस को कोई ऐसे व्यक्ति अपने सुरक्षा कर्मियों को साथ निर्वाचन क्षेत्र में इधर–उधर नहीं घूमेंगे। यदि वह व्यक्ति मतदाता भी है तो वह केवल मतदान के लिये जाएगा।

कार्य जो नहीं करना हैं

Don’ts

- सरकारी सुरक्षा या स्वयं के लिये प्राइवेट सुरक्षा गार्डों वाले किसी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- विवेकाधीन निधियों में से अनुदानों/भुगतानों की मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी
- मतदान केन्द्र से 200 मीटर परिधि में या शैक्षणिक संस्था चिकित्सालय के निकट अभ्यर्थियों के कार्यालय नहीं खुल सकते

Thank you